कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्राँकः– 958 / गोपेश्वर, दिनांक 14 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वाराः– निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषयः– प्रस्तावित सिमली से शेलैश्वर मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार संलग्न कर सहित प्रेषित की जा रही हैः–

क स	प्रश्न	उत्तर
1	Soft copies of shapefiles indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station may be provided	पार्ट I के Additional information में अलग–अलग फाईल बनाकर अपलोड कर दी गई है। तथा GPS or Total Map संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। (सलग्न)
2	Instead of ,Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in part I, some other document is attached.	पार्ट I के कम संख्या L (iv)(f) में Present owner proof और कम संख्या L (iv)(g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present owner attached कर दिया गया है। (सलग्न)

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग के पत्रांक 2762 / 10 एल0ए दिनांक 06–09–2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2762-/ 10/EA-07 दिनांक :- 6/9/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

विषय :- सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्र EDS दिनांक 16.08.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Soft copies of shapefile indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total station may be provided	पार्ट–I के Additional Information में अलग– अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है। तथा GPS or Total station map संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक–1 पेज 2)
2	Instead of, Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in Part-I, some other document is attached.	पार्ट–I के क्रम संख्या L (iv) (f) में Present owner proof और क्रम संख्या L (iv) (g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present owner attached कर दिया गया है। (संलग्नक–2 पेज 3 से 4)

अतः उपरोक्त आपत्तियो का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- प्रपत्र।

06/09/16

(जे.पी.रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

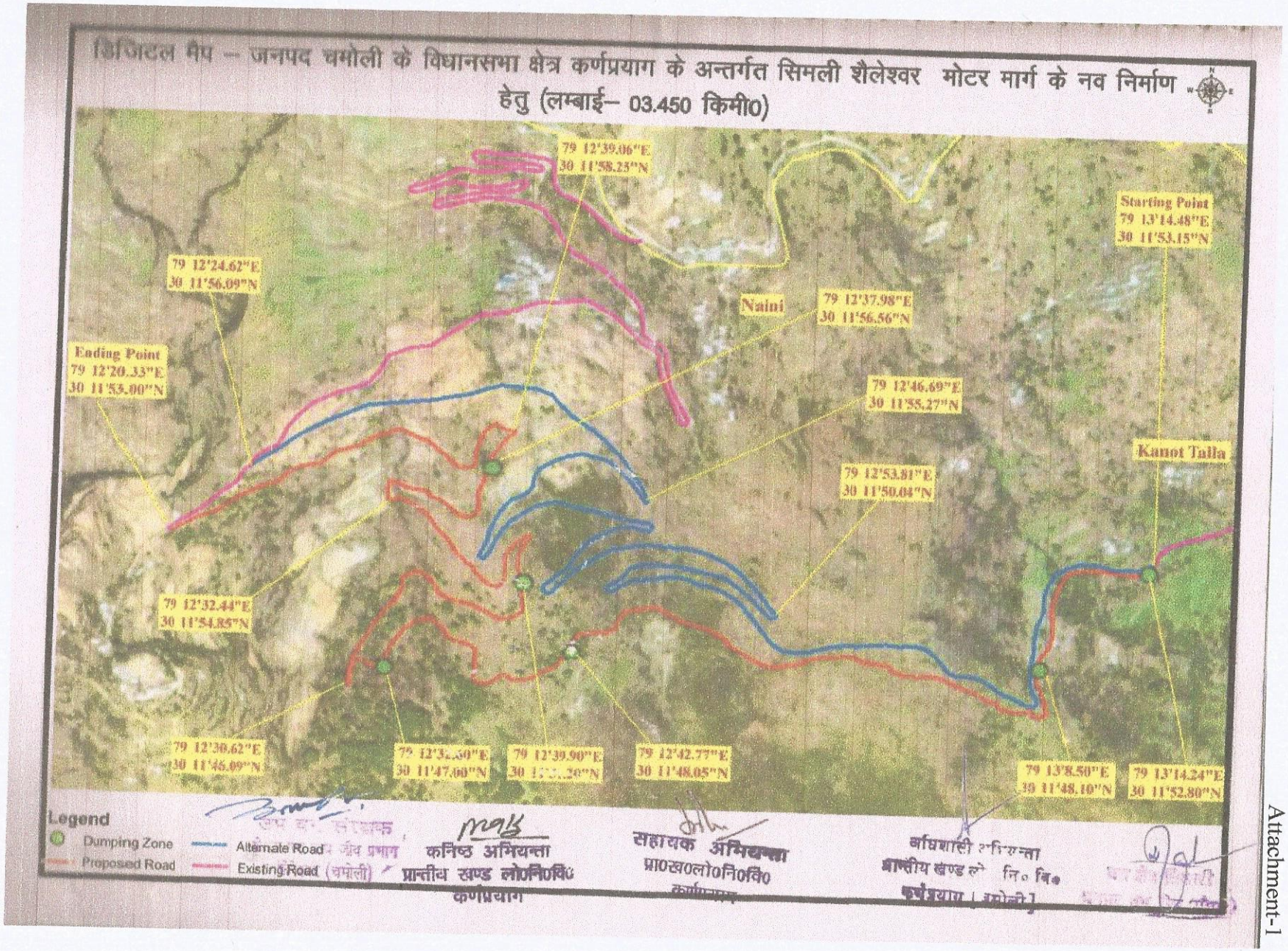
डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (लम्बाई– 03.450 किमी0)
79 12'39.06"E
30 11'58.23"N
Starting Point
79 13'14.48"E
30 11'53.15"N
79 12'24.62"E
30 11'56.09"N
Naini
79 12'37.98"E
30 11'56.56"N
Ending Point
79 12'20.33"E
30 11'53.00"N
79 12'46.69"E
30 11'55.27"N
Kanot Talla
79 12'53.81"E
30 11'50.04"N
79 12'32.44"E
30 11'54.85"N
79 12'30.62"E
30 11'46.09"N
79 12'42.77"E
30 11'48.05"N
79 13'8.50"E
30 11'48.10"N
79 13'14.24"E
30 11'52.80"N
Legend
Dumping Zone
Proposed Road
Alternate Road
Existing Road
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क0सं0	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे0 मे)
1	कनोठ	625	2.88 हे0
	सम्पूर्ण योगः—		2.88 हे0

अमीन
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

15/06/16
सहायक अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

15/06/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खं0 लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

R.S.I
Bongleo
16-6-016

16.6.16

जिला अधिकारी
चमोली

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग
17/6/16

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 625 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

15/06/16

आवेशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

जिला अधिकारी
चमोली